

तलत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

मगाराम बनाम चंगराम आदि

विविध प्रा0पत्र 212 आर.टी.ए. मुकदमा नं0- 550 .../2019

हुवम या कार्यवाही मय  
अनिशिल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुवम की तारीख  
में जारी हुआ।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री मनीश शर्मा अधिवक्ता द्वारा  
पुल किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज  
रिस्टर किया जाकर प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत  
गजात का अवलोकन किया गया। प्राथमिक दृष्टि से संतुष्ट होकर  
अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है, कि अप्रार्थी को  
बन्द किया जाता है कि चक नम्बर 6 जे.डी.डब्ल्यू के खाता संख्या  
7/89 में तादादी 73310 हैक्टर में अप्रार्थीगण आगामी आदेश दिया  
जाता है कि मौका एच रिकार्ड की यथारिथति बनाए रखे। अप्रार्थी को  
रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे जिसके लिए प्रार्थीगण के अधिवक्ता  
रजिस्टर्ड लिफाफे प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण के उपस्थित होने पर प्रार्थीगण  
के अधिवक्ता बहस करने हेतु बाध्य होंगे यदि बहस नहीं की जाती है, तो  
अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलवी  
दिनांक 2.12.2019 को पेश हो।

सत्यमेव जयते  
कपिल कुमार  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवम् पदेन सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ़।

2-12-19 प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थी द्वारा जजिद  
अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर  
पत्रावली के कार्य कार्यवाही न-पाएने  
बाबत निवेदन किए जाने पर वकील  
प्रार्थी द्वारा Note-Press किया गया  
अतः प्रार्थी के निवेदन पर डिग्रेस  
31-10-19 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा  
को निरस्त किया जाकर पत्रावली वर्तमान  
स्तर पर रखाई की जाती है। पत्रावली  
नम्बर से फत की जाकर वास्तविकता  
सुल वाड के साथ संलग्न हो।  
(कपिल कुमार)

मंगल (राजस्व)  
पत्रावली  
Not process  
अतः एन.ए.

